"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237 ] रायपुर, रविवार, दिनांक 1 जून 2014—— ज्येष्ठ 11, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2. — छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा (छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों के लिये) योजना, 2013 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 जून 2014 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त योजना क्रियान्वित होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकास शील**, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2/2040. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकास शील**, सचिव.

Raipur, the 22nd May 2014

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29/Food-2. — In exercise of the powers conferred by sub-clause (3) of Clause (1) of the Chhattisgarh State Food Security (for student of Hostels and Ashrams) Scheme, 2013 the State Government, hereby, appoints the 1st June, 2014 as the date on which the said Scheme shall be implemented.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2. — छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 6 सहपठित धारा 13 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा (छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों के लिये) योजना, 2013 को अधिसूचित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकास शील**, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2/2037. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकास शील**, सचिव.

Raipur, the 22nd May 2014

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29/Food-2. — In exercise of the powers conferred by Section 6 read with clause (d) of Section 13 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, notify the Chhattisgarh State Food Security (for students of Hostels and Aashrams) Scheme, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.